(c) if not, what are the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHR P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The qualifications prescribed in the existing Recruitment rules for appointment of technicians are quite appropriate and correspond well with the job-requirement of the post. Hence, no revision in recruitment qualifications is considered necessary. There is no case for revision of Pay Scales of the technicians.

Anti-riot Force

87. MAULANA OBAIDULLA KHAN AZMI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government propose to give due representation to Muslims in the anti-riot force; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) and (b) The Government is examining a proposal to set up a Rapid Action Force which will have a composite character. Our Constitution does not permit any discrimination the basis of religion in matters of employment or recruitment.

Supply of home security device by Delhi Police

88. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 263 given in the Rajya Sabha on the 17th July, 1991 and state:

(a) whether the Delhi Police have since made any arrangements to supply free of cost any home security device, on request to all senior citizens in Delhi; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) There is no proposal under consideration of Delhi Police to supply free of cost home security devices to senior citizens in Delhi.

(b) Does not arise.

LTTE in Tamil Nadu

89. DR. RATNAKAR PANDEY: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Tamil Nadu Government has sought assistance from the Central Government to gear up the State machinery with a view to effectively tackle the militant threat posed by he LTTE; and

(b) if so, the reaction of the Centr Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) and (b) The Government of India is providing all possible assistance to the Government of Tamil Nadu for tackling the militants. There is also a proposal under consideration for reimbursement of expenditure incurred by the State Government for strengthening Coastal policing.

पाकिस्तान तथा चीन के अवैध कब्जे में भारतीय भूमि

90. डा० रत्नाकर पांडेय : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारतीय भूमि का कितना भाग पाकिस्तान तथा चीन के अवैध कब्जे में है;

(ख) वह कब से अवैध कब्जे में है;

(ग) अपनी भूमि वापस लेने के लिए पाकिस्तान तथा चीन के साथ अब तक कितनी बार बातचीत की गई; और

(घ) इस संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है, तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी): (क) और (ख) भारतीय राज्य जम्मू और काश्मीर के कुछ हिस्से पाकिस्तान और चीन के कब्जे में हैं। जम्मू और काश्मीर राज्य के जिस इलाके पर 1947-48 से पाकिस्तान का गैर कानूनी कब्जा है, उसका रकबा अंदाजन 78,000 वर्ग किलोमीटर है। जम्मू और काश्मीर राज्य के लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर 1962 से चीन का कब्जा है। इसके अतिरिक्त 1963 के तथाकथित चीन-पाकिस्तान "सीमा समझौते" के अंतर्गत पाकिस्तान ने पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर का करीब 5120 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र गैर कानूनी तौर पर चीन को दे दिया है।

(ग) इस मसले को सुलझाने के लिए पाकिस्तान के साथ 1951 में, 1953, 1955, 1960 और 1962-63 में बातचीत हुई थी। ताशकंद में और फिर 1972 में शिमला में भी इसे सुलझाने के प्रयास किए गए थे।

जहां तक चीन का सवाल है अधिकारी स्तर की बातचीत 1960 में हुई थी तथा 1981 से 1987 के बीच अधिकारी स्तर की वार्ता के 8 दौर हुए थे। दिसम्बर, 1988 में तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी की चीन यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने भारत-चीन सीमा के सवाल पर एक संयुक्त कार्यदल का गठन करना स्वीकार किया था। इस संयुक्त कार्यदल की अब तक जुलाई, 1989, अगस्त, 1990 और मई 1991 में तीन बैठकें हो चुकी हैं।

(घ) जहां तक पाकिस्तान का प्रश्न है, जिस मसले पर फैसला होना बाकी है वह यह है कि पाकिस्तान ने जम्मू और काश्मीर राज्य में हमारे जिस प्रदेश का गैर कानूनी तौर पर कब्जा कर रखा है उसे वह खाली करे। सरकार शिमला समझौते के प्रति वचनबद्ध है जिसके अनुसार पाकिस्तान के साथ सभी मसलों को शांतिपूर्वक और द्विपक्षीय तरीके से सुलझाया जाना है।

सरकार का यह मानना है कि चीन के साथ सभी मतभेदों और समस्याओं को शांतिपूर्वक बातचीत द्वारा सुलझाया जाना चाहिए। दोनों पक्ष सीमा के सवाल का एक ऐसा उचित तर्कसंगत और परस्पर स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए एक पारस्परिक धरातल विकसित करने के प्रयास निरन्तर कर रहे हैं जो दोनों के राष्ट्रीय हितों और राष्ट्रीय भावनाओं के अनुरूप हो। इसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए भारत-चीन संयुक्त कार्य दल का गठन किया गया है।

कश्मीर घाटी में अपहृत किये गये इंडियन आयल कारपोरेशन के कार्यकारी निदेशक तथा अन्य सरकारी अधिकारियों की रिहाई

91. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा कश्मीर घाटी में इंडियन आयल कारपोरेशन के कार्यकारी निदेशक तथा हाल ही में अपहृत हुए अन्य सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों की रिहाई के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ख) ऐसी घटनाओं को पुनरावृत्ति रोकने संबंधी योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जेकब) : (क) भारतीय तेल निगम के कार्यकारी निदेशक श्री के. दोराई-स्वामी को आंतकवादियों ने 20 अगस्त 1991 को रिहा कर दिया है। सरकार, अन्य अपहृत सरकारी अधिकारियों की रिहाई के बारे में कदम उठा रही है।

(ख) घाटी में अपहरण की घटनाओं की रोकथाम करने की योजना प्रशासन द्वारा आंतकवादियों से निपटने और घाटी में